| पूर्व के वर्षो से अगेषित आरक्षण (बैकलॉग) | | | की गई भर्ती का विवरण संयुक्त निदेशक | | | | | अगेषित आरक्षण | | नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोगी लिया गया) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.जा. | अ.ज.जा. | भर्ती का वर्ष | रोस्टर एवं बिन्दू संख्या | क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा.के लिए आरक्षित है | नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या अ.जा./अ.ज.जा. है यदि नहीं. तो नहीं लिखे | | अ.जा. | अ.ज.जा. | | |
| | | | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | विभाग में संयुक्त निदेशक के 25 पद स्वीकृत है। | | | | | | |
| | | | | | 01.04.2020 को 25 स्वीकृत पद के विरुद्ध निम्नांकित संयुक्त | | | | | | |
| | | | | | निदेशक कार्यरत है। | | | | | | |
| | | | | | कुल 25 स्वीकृत पदों में अ.जा. (SC) के 03 पद व अ.ज.जा. (ST) | | | | | | |
| | | | | | के 03 पद स्वीकृत है। अ.जा. के रोस्टर बिन्दू संख्या 7, 13, 19 | | | | | | |
| | | | | | एवं अ.ज.जा. के लिए रोस्टर बिन्दू संख्या 9, 17, 25 निर्धारित है। | | | | | | |
| | | | | | UR = अनारक्षित | | | | | | |
| | | 2020-21 | 1 | UR | श्री बलराम स्वर्णकार | 2013-14 | | | | | |
| 01 | 03 | | 2 | UR | श्री चन्दन सिंह चौहान | 2015-16 | | | | | |
| | | | 3 | UR | श्री रामपाल परसोया | 2015-16 | SC-1 | | | | SC |
| | | | 4 | UR | श्रीमती शिप्रा बिक्रम | 2015-16 | | | | | |
| | | | 5 | UR | श्री मंत्रमुग्ध चतुर्वेदी | 2017-18 | SC-2 | | | | SC |
| | | | 6 | UR | श्री राजकुमार शिवानी | 2017-18 | | | | | |
| | | | 7 | SC-1 | श्री सी.एस. मिश्रा | 2017-18 | | | | | |
| | | | 8 | UR | श्री आलोक अग्निहोत्री | 2017-18 | | | | | |
| | | | | | विवरण | कुल पद | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा. | | |
| | | | | | 01.04.20 को स्वीकृत पद | 25 | 19 | 03 | 03 | | |
| | | | | | 01.04.20 को कार्यरत | 08 | 06 | 02 | 00 | | |
| | | | | | 01.04.20 को रिक्त पद | 17 | 13 | 1 | 3 | | |

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(24) डीओपी/क-2/75 दिनांक 20.11.97 द्वारा रिक्तियों के बजाय पद आधारित रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या किसी संवर्ग में के पदों की संख्या के बराबर होगी, तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर का संचालन बन्द हो जाएगा तथा Replacement नियम लागू होगा। विभाग में इस पद का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत अभ्यांश पूर्व मे पूर्ण हो चुका है तथा सेवानिवृति/पदोन्नति/मृत्यु आदि से हुए रिक्त पदो को उसी केटेगिरी से भरा जाना है, जिस केटेगिरी से पद रिक्त हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में Replacement नियम के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 4.7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पद आधारित (Post Based) आरक्षण लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित अभ्यांश पूर्ण होने पर भी रोस्टर पंजिका का संधारण किया जाना है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनाक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप मे 01.04.2020 से पदोन्नति से भर्ती के लिए रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार किया जा रहा है

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी वित्त विभाग
राजस्थान, जयपुर

| पूर्व के वर्षो से अगेषित आरक्षण (बैकलॉग) | | | की गई भर्ती का विवरण | | | | अगेषित आरक्षण | | नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण (जिस वर्ष द्वारा उपयोगी लिया गया) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.जा. | अ.ज.जा. | भर्ती का वर्ष | रोस्टर एवं बिन्दू संख्या | क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा.के लिए आरक्षित है | नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या अ.जा./अ.ज.जा. है यदि नहीं. तो नहीं लिखे | अ.जा. | अ.ज.जा. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | पारिलाभिक रिक्तियाँ | | | | | |
| | | | | | उच्चतर पद पर पदोन्नति 04 | 03 | 01 | 00 | | |
| | | | | | सेवानिवृत्ति से रिक्त पद 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| | | | | | चयन वर्ष की कुल रिक्ति — 21 | 16 | 02 | 03 | | |
| | | | | | नोट:- श्री संजीव कुमार दास, उप निदेशक की सीलबंद चयन वर्ष 2013-14 में | | | | | |
| | | | | | संयुक्त निदेशक कार्यरत मने जाने के फलस्वरूप 20 रिक्तियों के विरुद्ध | | | | | |
| | | | | | ही वर्ष 2020-21 की DPC का आयोजन किया गया। | | | | | |
| | | | | | अतः दिनांक 21.10.2020 को संयुक्त निदेशक के पद की डीपीसी का | | | | | |
| | | | | | आयोजन कर 20 रिक्त पदो पर निम्नांकित पदोन्नतियाँ प्रदान | | | | | |
| | | | | | की गई हैं — | | | | | |
| | | | 1 | | श्री सुरेश कुमार मीणा 2020-21 | अ.ज.जा. ST | | | | |
| | | | 2 | | श्री रमनलाल जयपाल 2020-21 | अ.जा. SC | | | | |
| | | | 3 | | श्री राकेश कुमार मीणा 2020-21 | ST | | | | |
| | | | 4 | | श्री करण सिंह चारण 2020-21 | | | | | |
| | | | 5 | | श्रीमती सौम्या शर्मा 2020-21 | | | | | |
| | | | 6 | | श्रीमती संजू शर्मा 2020-21 | | | | | |
| | | | 7 | | कुमारी योगबाला सूणा 2020-21 | | | | | |
| | | | 8 | | श्रीमती मीनाक्षी चौधरी 2020-21 | | | | | |
| | | | 9 | | श्रीमती सरिता सैनी 2020-21 | | | | | |
| | | | 10 | | श्रीमती सुनीता यादव 2020-21 | SC | 00 | 01 | | |

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

| पूर्व के वर्षो से अगेषित आरक्षण (बैकलॉग) | | | की गई भर्ती का विवरण | | | | अगेषित आरक्षण | | नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण (जिस वर्ष द्वारा उपयोगी लिया गया) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.जा. | अ.ज.जा. | भर्ती का वर्ष | रोस्टर एवं बिन्दू संख्या | क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा.के लिए आरक्षित है | नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या अ.जा./अ.ज.जा. है यदि नहीं. तो नहीं लिखे | अ.जा. | अ.ज.जा. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | श्रीमती ननीता राठौड़ की सेवाभिलेख (ACR) पूर्ण नहीं होने के कारण इनका प्रकरण डेफर रखते हुए 01 पद रिक्त रखा गया | | | | | | | | |
| | | एवं श्रीमती दीपी गोयल का 5 वर्ष की सेवा अनुभव का प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन | | | | | | | | |
| | | होने के कारण इनका प्रकरण डेफर रखते हुए 01 पद रिक्त रखा गया है। इस प्रकार कुल 02 पदों को रिक्त | | | | | | | | |
| | | रखा गया है। अतः चयन वर्ष 2020-21 में शेष 08 रिक्त पदों को अग्रेषित किया गया। | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20 संयुक्त निदेशक (संगठन) राज्य बीमा एवं सावधानी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर | |